PRESS MONITOR
Hindustan, Delhi
Friday, 30th September 2022; Page: 6
Width: 16.65 cms; Height: 22.83 cms; a4; ID: 20.2022-09-30.40

70 लाख शराब की बोतलें बचीं, बेचने की इजाजत मांगी

परेशानी

शराब कारोबारियों ने सरकार से लगाई गुहार, अगर नहीं मिली इजाजत तो नष्ट करना पड़ेगा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता । राजधानी में पुरानी आबकारी नीति के तहत शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन नई नीति के तहत बिक्री करने वाले कारोबारियों की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। कारोबारियों का कहना है कि उनके पास करीब 70 लाख शराब की बोतलों का स्टॉक पड़ा है, जिसे सरकार बेचने की इजाजत नहीं दे रही।

कंनफेडरेशन ऑफ इंडिया एल्कोहलिक बेवरेज कंपनी की तरफ से इस संबंध में आबकारी विभाग और दिल्ली सरकार को पत्र लिख पुराने स्टॉक को बेचने की इजाजत मांगी है। सीआईएबीसी के डायरेक्टर जनरल विनोद गिरी कहते हैं कि 31 अगस्त को नई आबकारी नीति से संचालित सभी लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद भी काफी सारा स्टॉक बचा रह गया था। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भी करीब 70 लाख शराब की बोतलें पुरानी वेंडरों के पास हैं।

उन्होंने कहा कि अब जब पुरानी आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब की बिक्री हो रही है और काफी सारे ब्रांड की उपलब्धता नहीं है तो ऐसी स्थिति में पुरानी स्टाफ को समायोजित कर बिक्री की परमिशन दें। इससे शराब की किल्लत से भी बचा जा सकेगा।

सरकार को लिखे गए पत्र में छोटे ब्रांड के पंजीकरण का मुद्दा भी उठाया गया है। कहा गया कि जब सरकार पुरानी आबकारी नीति के तहत बिक्री कर रही है तो ब्रांड पंजीकरण के समय पूरे साल का 25 लाख का शुल्क न लिया जाए।